

क्रमांक: एनटीपीसी/लारा/ओ.सं./मजदूरी

दिनांक: 08.04.2024

परिपत्र

सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय), भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.04.2024 के अनुसार सभी श्रेणी के औद्योगिक कामगारों को देय न्यूनतम मजदूरी दर पुनरीक्षित कर दी गई है। तदनुसार इस अधिसूचना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम मजदूरी राशि निम्नानुसार दिनांक 01.04.2024 से देय होगी:

क्रमांक/ Sl. No.	कामगारों की श्रेणी/ Category of Worker	दैनिक न्यूनतम मजदूरी दर 01.04.2024 से Daily Minimum Wage Rate w.e.f. 01.04.2024
1	अकुशल/Unskilled	Rs. 522/-
2	अर्धकुशल/Semi-Skilled	Rs. 610/-
3	कुशल/ Skilled	Rs. 734/-
4	अति कुशल/ Highly Skilled	Rs. 862/-

समस्त प्रभारी इंजिनियर से अनुरोध है कि मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर न्यूनतम मजदूरी राशि संविदाकारों के कार्यरत कामगारों को संविदाकारों द्वारा भुगतान करना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

6
21/04/24
8/4/24
गौतम सिंह भाटी
वरिष्ठ प्रबंधक (मा.सं.)

प्रतिलिपि:

- परियोजना प्रमुख (लारा) के कार्यकारी सचिव: परियोजना प्रमुख (लारा) के सूचनार्थ।
- सभी अभियंता प्रभारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही और उनके नियंत्रण में ठेका एजेंसियों को सूचित करने एवं न्यूनतम मजदूरी राशि सुनिश्चित करने हेतु।
- सभी महाप्रबंधकों को सादर सूचनार्थ।
- सभी अपर महाप्रबंधक/विभागाध्यक्ष को सादर सूचनार्थ।
- विषय फ़ाइल।
- लारा इंटरनेट।